



2026:AHC:22597-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29907/2025

अनिल शिवहरे

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : करन सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, जगदीश नारायण गुप्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश नारायण गुप्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. मामले में कुछ बहस के उपरांत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।

2. विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

एन.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"